

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 88/2026

आफताब अहमद

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – सचिन तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अशोक कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन तिवारी, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आकाश सिन्हा और विरोधी पक्षकार संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा को सुना।

2. जनहित याचिका के रूप में दायर की गई इस रिट याचिका में निम्नलिखित अनुतोषों का अनुरोध किया गया है:-

"1- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को विरोधी पक्षकार संख्या 7 द्वारा कृषि भूमि गाटा संख्या 589, ग्राम औतरपुर बिहार, ब्लॉक बिहार, तहसील- कुंडा, जिला- प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश कोयला भंडा स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 2010 का घोर उल्लंघन करते हुए संचालित अवैध कोयला भंडे के संचालन को तत्काल बंद करने, सील करने और प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी अधिकारियों को विरोधी पक्षकार संख्या 7 के पक्ष में कोयला भट्टे के संचालन के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या 25/2024 और सभी अनुवर्ती नवीनीकरणों को रद्द करें, क्योंकि यह अवैध, मनमाना और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 में निहित है।"

3. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त कोयला भट्टे स्थल का स्वतंत्र, वैज्ञानिक और समयबद्ध पर्यावरण निरीक्षण करने का निर्देश देने के लिये रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन स्तर, राख जमाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, बागों और आसपास के जल निकायों पर प्रभाव का आकलन, और इस माननीय न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सम्मिलित हो।"

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आकाश सिन्हा को क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रतापगढ़ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि संबंधित विधियों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संभागीय वन अधिकारी द्वारा विरोधी पक्षकार संख्या 7 को जारी किया गया लाइसेंस वर्ष 2025 में ही रद्द कर दिया गया था और कोयला भट्टे को ध्वस्त कर दिया गया है। यह वर्तमान में क्रियाशील नहीं है।

4. यदि ऐसा है, तो उक्त अधिकारी उपरोक्त तथ्यों को आवश्यक प्रमाणों (यदि कोई हो) के साथ 10 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को लिखित रूप में संसूचित करें।

5. भविष्य में, यदि कोई शिकायत हो तो याचिकाकर्ता पुनः न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों सहित, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

4 फरवरी, 2026

आर.के.पी.